

25 ²/₂₆ वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच लोक अदालत की भावना से आपसी समझौता हो गया है एवं वादी उक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त वाद जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली